


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
7.5.24	<p> प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता लम्बे समय से अनुपस्थित रहने से न्यायालय में चैरवी हेतु बार-बार सूचना के चैरवी नहीं की जा रही है। न्यायालय में नियत समय में एवं समय समाप्त तक अधिवक्तागण को बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता प्रार्थी को अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने से पतावली अवम हाजरी अवम चैरवी में बस्ती स्तर पर धारिण्य की जाती है। उपरोक्त धारिण्य पतावली चैराल्य हुमात होकर सम्वत की जात है। </p>	


 आदेशित जिला कलेक्टर
 बालोतरा